

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
संसं0-02/कर माफी-07/2017 परि0
आदेश

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन प्रदाधिकारी, पटना के पत्रांक-2146, दिनांक-27.03.2018 तथा पत्रांक-79, दिनांक-05.01.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-03/2018 द्वारा डिप्टी कमिश्नर, स्पेशल ब्यूरो, भारत सरकार, विवेकानन्द मार्ग, नॉर्थ एस0 के0 पुरी, बोरिंग रोड, पटना-13 के एक नये वाहन MAHINDRA AND MAHINDRA BOLERO+ के कर माफी की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No	Type of New Vehicle	Engine Number	Chassis Number	Period of Road Tax	Amount of Road Tax (in Rs.)
1	MAHINDRA AND MAHINDRA BOLERO+	GRH4K89818	MA1XE2GRH2K68527	ONE TIME TAX	Road Tax- ₹ 34,520/- Fine- ₹ 6,90/-
TOTAL					₹ 35,210/-

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के उपर्युक्त पत्रों द्वारा की गयी अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में डिप्टी कमिश्नर, स्पेशल ब्यूरो, भारत सरकार, विवेकानन्द मार्ग, नॉर्थ एस0 के0 पुरी, बोरिंग रोड, पटना-13 के उपर्युक्त वाहन के संगणित कुल पथकर (अर्थदण्ड सहित) की राशि ₹ 35,210/- (पैंतीस हजार दो सौ दस रुपये मात्र) की विनियुक्त दी जाती है। उपर्युक्त वाहन से सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि वसूलनीय होगी। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बधित/
-मेल

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-07/2017

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/डिप्टी कमिश्नर, स्पेशल ब्यूरो, भारत सरकार, विवेकानन्द मार्ग, नॉर्थ एस0 के0 पुरी, बोरिंग रोड, पटना-13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-07/2017

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।